

.....में पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

पत्रावली नहीं हुई। अतः पत्रावली पुनः न्यायालय में कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है। पत्रावली दिनांक 19/11/23 को पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

~~.....~~  
~~.....~~  
~~.....~~

19/11/23  
पत्रावली पेश हुई। किशनगढ़ पदाकारान उप  
पी. ओ. साहब दीर्घ/अवकाशपर पधारें हैं। अतः  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 29/11/23

29/11/23  
पत्रावली पेश हुई। किशनगढ़ पदाकारान उप  
पी. ओ. साहब दीर्घ/अवकाशपर पधारें हैं। अतः  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 2/3/24

पत्रावली नियत दिनांक 12/03/24 से पूर्व न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरणों में सुनवाई हेतु पारित आदेश अनुसार आगामी नियत दिनांक 03/04/24 को पेश हो।

आदेशानुसार




उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

CN- 85/21

03/04/24

पत्रावली देरा हुई। वकील साहबी उप. नदी  
वकील साहबी को एक-एक कर 5.30 P.M.  
तक आवाज भगवाई गई। वकील साहबी का  
उनका कोई प्रतिनिधि उप. नहीं।

अतः साहबी के तारीखनाम  
को अदालत पीछे अदालत हाजरी में धारण  
किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार होकर  
पत्रावली नम्बर के अन्त है। 

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)